न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या — 243 / 2021

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

कालूराम पुत्र प्रतापाराम उम्र 50 वर्ष जाति सुथार निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।	01. बिशनाराम पुत्र विरदाराम उम्र 70 वर्ष 02. मांगीलाल पुत्र विरदाराम उम्र 55 वर्ष 03. नेनाराम पुत्र मिसराराम उम्र 38 वर्ष 04. चतराराम पुत्र मिसराराम उम्र 40 वर्ष 05. झमु देवी पत्नी मिसराराम उम्र 65 वर्ष 06. आसी देवी पत्नी विरदाराम (फौत) के कायम मुकाम (विप्रार्थी संख्या 1 से 5 रेकर्ड पर) 07. सुआ देवी पत्नी प्रतापाराम उम्र 85 वर्ष 08. बाबुलाल पुत्र प्रतापाराम उम्र 57 वर्ष 09. मोहनराम पुत्र प्रतापाराम उम्र 45 वर्ष 10. कानाराम पुत्र प्रतापाराम उम्र 40 वर्ष 11. जुगताराम पुत्र प्रतापाराम उम्र 62 वर्ष जाति सुथार निवासी चाड़ो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर। 12.शाखा प्रबन्धक SBI बैंक सिणधरी 13. तहसीलदार एवं उपपंजियक सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जगदीश विशनोई, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री बाबुलाल विशनोई, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 7 व 11 उपस्थित।
3. श्री रामजीवन विशनोई, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 9 से 10 उपस्थित।
4. प्रतिवादी सं. 13 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 14.02.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.10 14:22:36 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस[illegible] है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88. 91, 92क, 18[illegible],212 [illegible] अधिनियम का पेश किया है जिसमें सफलता मिलने की पुर्ण सम्भावना है। प्रार्थी [illegible] विप्रार्थीगण कि ग्राम चाडो की ढाणी पटवार हल्का चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के [illegible]त खसरा संख्या 463 [illegible]ल 3.1794 हैक्टेयर (रकबा 19–13 बीघा) का आया हुआ है।उक्त विवादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से पुर्व प्रार्थी के दादा मुतवफी कोजा के कब्जे की थी तथा कोजा के कब्जा अनुसार कोजा के द्वारा जागीरीकाल में जागीरदारो को कुंता भरा जाता था तथा कोजा ने अपने जीवन काल में उक्त आराजी अपने पुत्र विरथा व प्रतापा को सुपुर्द की जिस पर विरदा व प्रतापा उक्त विवाद

ग्रस्त आराजी में सामलाती रूप से काश्त करते थे तथा दोनो एक ही घर में निवास करते थे तथा विरदा पढ़ा लिखा व जानकार था प्रतापा दोनो का संयुक्त परिवार होने से पशु चराने का काम करता था सम्वत् 2012 में उक्त आराजी का पर्चा लगान जारी होने के समय विरदा ने उक्त आराजी को नपवाकर पर्चा लगान विरदा व प्रतापा के नाम से संयुक्त नाम से जारी करना था परन्तु विरदा ने प्रतापा को पशु चराने भेज दिया तथा उक्त विवाद ग्रस्त आराजी की मिसल बन्दोबस्त में अपने अकेले के नाम जारी करवा दी जबकि अन्य आराजी गांव के मौजिज लोगो के रूबरू नापने की वजह से विरदा की चालाकी लोगो के सामने नही चली तथा बाकि सभी खेत संयुक्त रूप से प्रतापा के साथ मिसल बन्दाबस्त जारी हुई इस प्रकार खेत खसरा संख्या 131, 137 ग्राम गादेसरा खेत खसरा संख्या 620 ग्राम खारा महेचान खेत खसरा संख्या 369, 506 ग्राम चाड़ो की ढाणी में पर्चा लगान संयुक्त रूप से जारी हुआ तथा उक्त सभी आराजी पैतृक आराजी थी तथा विवाद ग्रस्त आराजी में सेटलमेंट से पुर्व से लेकर आज तक अनवरत रूप से पहले प्रतापा तथा प्रतापा के फौत होने पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी का पक्का घर बना हुआ है तथा पक्का घर के साथ चारवाड़े, बेरे इत्यादि सुधार प्रार्थी द्वारा किया गया इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थी की पुर्ण रूप से पैतृक आराजी है तथा पैतृक आराजी में अपना हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। कि प्रतापा के फौत होने पर प्रतापा के पांच पुत्र व पत्नी के नाम से नामान्तरकरण पारित किया गया प्रार्थी शेष अन्य आराजी की भांति विवाद ग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 463 में भी पर्चा लगान व फौतगी नामान्तरकरण द्वारा अपने नाम से होने की सोचता रहा तथा कब्जा भी उसी अनुरूप होने से प्रार्थी उक्त विवाद ग्रस्त आराजी में अपना पैतृक हक हिस्सा दर्ज होने की जानकारी नहीं हो सकी जबकि कुछ माह पूर्व प्रार्थी उक्त विवाद ग्रस्त आराजी में अपने पुराने मकान का नवीनिकरण का काम शुरू किया तो विप्रार्थीगण ने प्रार्थी का काम रुकवा दिया तब प्रार्थी द्वारा अपने घर में काम रूकवाने के विरूद्ध पुलिस थाना में रिपोर्ट पेश की तब विप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम नहीं होने का कहा तो प्रार्थी ने अपने हक हकुब संश्यप्रद लगने पर उक्त आराजी के राजस्व रिकोर्ड की प्रतिये प्राप्त की तब प्रार्थी को जानकारी हुई की प्रार्थी के पिता प्रतापा की अनपढ़ता का फायदा उठाकर विप्रार्थी संख्या 01 से 06 के वालीद विरदाराम ने षड्यन्त्र पुर्वक एक खेत का पर्चा लगान अपने नाम से जारी करवा दिया जबकि शेष इस ग्राम व अन्य ग्राम में स्थित आराजी संयुक्त रूप से पर्चालगान जारी हुआ जबकि उक्तेत पैतृक होने व विरदा व प्रतापा का बराबर कब्जा काश्त होने के बावजुद अपने अकेले के नाम करवा दिया जो प्रार्थी के हितो तक शुन्य होने से प्रार्थी उक्त आराजी में अपने पिता प्रतापा के 1/2 हिस्से में अपना 1/6 यानि कुल रकबा में 1/12 हिस्सा घोषित करवाने का विधिक अधिकारी अधिकारी है। कि सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के पिता का विवादग्रस्त आराजी में निवास था तथा प्रार्थी के पिता की फौतगी के बाद प्रार्थी का अनवरत रूप से उक्त आराजी में रहवास के साथ भूमि का सुधार किया गया जबकि विप्रार्थीगण प्रार्थी के पिता के भूल से नाम नहीं आने का फायदा उठाकर [illegible] आराजी को खुर्द बुर्द करने की नियत से पूर्व में भी दो बैचाण किये जा चुके है जो [illegible] के प्रति शुन्य है तथा वर्तमान में विप्रार्थीगण धोखाधडी से प्राप्त भूमि को अपने [illegible] से अधिक बैचाण करने पर उतारू है जबकि विप्रार्थीगण द्वारा पुर्व में हिस्से से अधिक [illegible] कर चुके है इसीलिए उन्हें अब वैचाण करने का कोई अधिकार नही है तथा विप्रार्थीग[illegible] अपने नाम होने का बेजा फायदा उठाकर प्रार्थी का अपने वर्षो पुराने कब्जा काश्त में दखलअदांजी की जा रही है तथा प्रार्थी के आवास में सुधार के काम को अवैधानिक रूप से रूकवा दिया गया है जबकि पैतृक आराजी में ऐसा करने का उन्हें कोई अधिकार नही है इसीलिए प्रार्थी के कब्जा काश्त आवास में दखलअंदाजी विप्रार्थी स्वयं या किसी अन्य से नही करावे तथा अपने नाम होने के आधार पर पैतृक हक हिस्से से अधिक वैचाण रहन, हस्तानान्तरण नही करे इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.10 14:22:36 IST
Reason: SelfAttested

आश्य की मौका व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी होने से यह अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पेश है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम चाडों की ढाणी पटवार हल्का चाडों की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 463 क्षेत्रफल 3.1794 हैक्टेयर (रकबा 19-13 बीघा) में विप्रार्थीगण विधिवत बंटवाडे से पुर्व बैचान, रहन, हस्तान्तरण इत्यादि नही करे तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण दखलअंदाजी नही करे इस आश्य की मौका व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं 7 व 9 से 11 के वकील उपस्थित हुए, विप्रार्थी सं. 7 व 11 की तरफ से जवाब पेश किया गया, परन्तु विप्रार्थी स. 9 से 10 की तरफ से जवाब पेश नहीं किया। शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

इसके विपरित वकील विप्रार्थी संख्या 7 व 11 की ओर से अपने जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व बाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 क, 188, 207 रा.का.अधि. पेश किया हुआ है जो गलत एवं बैबुनियाद तथ्यों विधि विरुध पेश किया हुआ जिसमें सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। वादग्रस्त खसरा संख्या 463 रकबा 3.1794 हैक्टेय का आया जो विप्रार्थी संख्या 1 से 6 का पुश्तैनी है जिसमें 1/2 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 7 की स्वअर्जित सम्पति जो जरिये रजिस्ट्री से खरीदी हुई है, जिसमें वादी का कोई हक निहित नहीं है। खसरा संख्या 463 विप्रार्थी संख्या 1 से 6 पैतृक सम्पति है. उक्त खसरे पर वादी के पिता प्रतापाराम का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, उक्त खसरे की 1/2 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 7 की स्वअर्जित सम्पति है तथा खसरासंख्या 463 का पर्चा लगान व खतौनी बन्दोबस्त विरधाराम के नाम जारी हुई थी, जिस पर प्रतापाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं था, उक्त खतरे में वादी ने बैबुनियाद तथ्यों पर विधि विरूद्ध वाद पेश किया है, जिसमें पृथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में कोई तथ्य प्रकट नहीं होते है, प्रथम दृष्टया मामला विप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 के पक्ष में है जो रेकर्डेड खातेदार है। इस प्रकार उक्त खसरा विप्रार्थी संख्या 1 से 6 का पुश्तैनी है तथा प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा क्रयसुदा है इसलिये उक्त खसरे में सुविधा का सन्तुलन अपूर्णिय क्षति के बिन्दु भी विप्रार्थी संख्या 1 से 7 के पक्ष में है। जिस पर वादी को वाद/आवेदन लाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, गलत तथ्यों पर व विधि विरूद्ध प्रस्तुत याद में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

हमनें वकील उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन [illegible] विप्रार्थीगण कि ग्राम चाडो की ढाणी पटवार हल्का चाडो की ढाणी तहसील [illegible] खेत खसरा संख्या 463 क्षेत्रफल 3.1794 हैक्टेयर (रकबा 19–1[illegible] आराजी वक्त सेटलमेंट से पुर्व प्रार्थी के दादा मुत[illegible] तथा कोजा के कब्जा अनुसार कोजा के द्वारा जागीरीकाल में जागीरदारो को कुंता भरा[illegible]ता था तथा कोजा ने अपने जीवन काल में उक्त आराजी अपने पुत्र विरथा व प्रतापा को सुपुर्द की जिस पर विरदा व प्रतापा उक्त विवाद ग्रस्त आराजी में सामलाती रूप से काश्त करते थे तथा दोनो एक ही घर में निवास करते थे तथा विरदा पढ़ा लिखा व जानकार था प्रतापा दोनो का संयुक्त परिवार होने से पशु चराने का काम करता था सम्वत् 2012 में उक्त आराजी का पर्चा लगान जारी होने के समय विरदा ने उक्त आराजी को नपवाकर पर्चा लगान विरदा व प्रतापा के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.03.10 14:22:36 IST
Reason: SelfAttested

से संयुक्त नाम से जारी करना था परन्तु विवाद ग्रस्त आराजी की मिसल बन्दोबस्त में अपने अकेले के नाम जारी करवा दी बाकि सभी खेत संयुक्त रूप से प्रतापा के साथ मिसल बन्दाबस्त जारी हुई इस प्रकार खेत खसरा संख्या 131, 137 ग्राम गादेसरा खेत खसरा संख्या 620 ग्राम खारा महेचान खेत खसरा संख्या 369, 506 ग्राम चाडो की ढाणी में पर्चा लगान संयुक्त रूप से जारी हुआ तथा उक्त सभी आराजी पैतृक आराजी थी तथा विवाद ग्रस्त आराजी में सेटलमेंट से पुर्व से लेकर आज तक अनवरत रूप से पहले प्रतापा तथा प्रतापा के फौत होने पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी का पक्का घर बना हुआ है तथा पक्का घर के साथ चारवाड़े, बेरे इत्यादि सुधार प्रार्थी द्वारा किया गया इस प्रकार उक्त आराजी प्रार्थी की पुर्ण रूप से पैतृक आराजी है तथा पैतृक आराजी में अपना हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है। पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी एवं बंदौबस्त रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक एवं खातेदारी की भूमि है, ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। विप्रार्थी वकील की दलील में कि खसरा संख्या 463 विप्रार्थी संख्या 1 से 6 पैतृक सम्पति है. उक्त खसरे पर वादी के पिता प्रतापाराम का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, उक्त खसरे की 1/2 हिस्सा विप्रार्थी संख्या 7 की स्वअर्जित सम्पति है तथा खसरासंख्या 463 का पर्चा लगान व खतौनी बन्दोबस्त विरधाराम के नाम जारी हुई थी, जिस पर प्रतापाराम का कोई कब्जा काश्त नहीं था। ऐसी स्थिति में जहां तक घोषणात्मक दावे का निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के निर्णित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु यदि दौराने विचारण वाद पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के आगे से आगे बैचान इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को क्षति होनी की संभावना बढती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम चाडो की ढाणी पटवार हल्का चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 463 क्षेत्रफल 3.1794 हैक्टेयर (रकबा 19–13 बीघा)भूमी में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prahlad Kumar
Date: 2024.03.10 14:22:36 IST
Reason: SelfAttested

(प्रहलाद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी